



खाद्य भोजनालयों के संबंध में राज्य वनियमन

प्रलिस के लयि:

[खाद्य मलिवट](#), [भारतीय खाद्य सुरकषा और मानक प्राधकिरण \(FSSAI\)](#), [अनुचछेद 15](#), [अनुचछेद 17](#), [अनुचछेद 19](#), भारी धातुएँ, [आनुवंशकि रूप से संशोधति खाद्य पदार्थ](#), [जैवकि खाद्य पदार्थ](#)।

मेन्स के लयि:

भारतीय खाद्य सुरकषा एवं मानक प्राधकिरण, भारत में खाद्य सुरकषा को मज़बूत बनाना

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में, [उत्तर प्रदेश \(UP\)](#) सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर [संचालकों](#), [मालकों](#), [प्रबंधकों](#) और अन्य संबंधति कर्मयिों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शति करने को अनविर्य कर दयिा है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम आदेशों के लयि [खाद्य पदार्थों में मलिवट](#) की घटनाओं की रपिर्टों का हवाला दयिा है, जैसे कि खाद्य पदार्थों का मानव अपशषिट या अन्य अखाद्य पदार्थों से संदूषति होना।

खाद्य सुरकषा और मानक अधनियम, 2006 (FSSA) के अंतरगत मौजूदा खाद्य सुरकषा आवश्यकताएँ क्यि हैं?

- पंजीकरण या लाइसेंस:** FSSA के अंतरगत, खाद्य व्यवसाय संचालकों को [भारतीय खाद्य सुरकषा एवं मानक प्राधकिरण \(FSSAI\)](#) से पंजीकरण कराना या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
 - पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस, जसिमें [मालकि की पहचान](#) और प्रतषिटान का स्थान दर्शाया गया हो, परसिर में [प्रमुखता से प्रदर्शति कयिा जाना चाहयि](#)।
- बना लाइसेंस के दंड:** FSSA की धारा 63 के तहत, बना लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वाले कसिी भी संचालक को [छह महीने तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना](#) हो सकता है।
 - यह प्रावधान उचति [लाइसेंसि और सूचना के प्रदर्शन](#) के महत्त्व पर बल देता है।
- FSSA वनियमों का गैर-अनुपालन:** यद कि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक FSSA के प्रावधानों का [उल्लंघन करता है](#), तो उसे धारा 31 के अंतरगत ['इम्प्रूवमेंट नोटसि'](#) प्राप्त हो सकता है।
 - यद ऑपरेटर, नोटसि के [अनुपालन](#) में वफिल रहता है, तो उसका [लाइसेंस नलिंबति या रद्द](#) कयिा जा सकता है।
 - इसके अतरिकित, धारा 58 में [ऐसे उल्लंघनों के लयि 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान](#) है, जनिके लयि कोई वशिषिट दंड नरिधारति नहीं है।

FSSA के अंतरगत नयिम बनाने की राज्य सरकारों की शक्तयिाँ क्यि हैं?

- राज्य प्राधकिरण:** FSSA की धारा 94 राज्य सरकारों को FSSAI की [पूर्व स्वीकृति](#) से नयिम बनाने की अनुमतति प्रदान करती है।
- अतरिकित क्यिों का आवंटन:** राज्य सरकारें FSSA की धारा 30 के तहत नयिकृत खाद्य सुरकषा आयुकृत को [अतरिकित क्यि और कर्त्तव्य नरिधारति कर सकती हैं](#)।
 - इसमें राज्य के अधकिार कषेत्र में [खाद्य सुरकषा](#) से संबंधति मामलों पर नयिम बनाना शामिल है, जो केंद्र सरकार की नगिरानी के अधिन होगा।
- राज्योँ द्वारा नयिम बनाने की प्रक्यिा:** FSSA की धारा 94(3) के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कसिी भी नयिम को राज्य वधिानमंडल द्वारा प्रकाशति और अनुमोदति कयिा जाना चाहयि।


ऐसे आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए वर्ष 2024 की कांड यात्रा के लिये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस द्वारा जारी किये गए इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी, जसिमें खाद्य वकिरेताओं को अपनी पहचान प्रदर्शति करना अनविर्य था ।
- हालाँकि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) एक "सक्षम प्राधिकारी" को ऐसे आदेश जारी करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पुलिस इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती ।

राज्य सरकार के ऐसे आदेशों को न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाती है?

- अनुच्छेद 15 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि ऐसे आदेश व्यक्तियों को अपनी धार्मिक और जातगत पहचान प्रकट करने के लिये मजबूर करते हैं तथा धर्म एवं जाति के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है ।
 - अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवलधर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा । ”
- अनुच्छेद 17 का उल्लंघन: यह अप्रत्यक्ष रूप से असंप्रत्यक्षता की प्रथा का समर्थन कर सकता है, जसि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त और नषिद्ध किया गया था ।
- अनुच्छेद 19 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि यह आदेश वशिष्ट समुदाय के पूरण आर्थिक बहिष्कार के लिये स्थितियाँ उत्पन्न करता है और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार का उल्लंघन करता है ।

//



LIST OF FOOD ADULTRANTS

ADULTERANTS

- Unhygienic water
- Chalk powder
- Soap powder
- Hydrogen peroxide
- Urea

MILK



HARMFUL EFFECTS

- Food poisoning
- Heart problems
- Cancer
- Vomiting
- Nausea

BLACK PEPPER



- Papaya seeds

- Liver disorders
- Stomach disorders

OIL



- Argemone seeds

- Epidemic dropsy
- Severe glaucoma

GHEE



- Vegetable oil
- Animal body fats

- Anaemia
- Enlargment of Heart

CHILLY POWDER



- Brick powder
- Saw dust

- Stomach problems
- Artificial colors can cause cancer

TURMERIC POWDER



- Yellow aniline dye
- Non-permitted colourants like metanil yellow

- Carcinogenic
- Stomach disorders



खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य मिलावट को रोकने के लिये सामान्य प्रावधान क्या हैं?

- **खाद्य योज्यों का उपयोग-** किसी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योज्यक या परसंस्करण सहाय्य तब तक अंतरवष्टि नहीं होगा, जब तक कविह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए वनियमों के उपबंधों के अनुसार न हो।
- **वषिले पदार्थ और भारी धातुएँ-** किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से (जो वनियमों द्वारा वनिरिदष्टि की जाए) अधिक मात्रा में संदूषक, प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले वषिले पदार्थ, टाक्सन्सिस या **हारमोन** या **भारी धातु** नहीं होगी।
- **कीटनाशक, पशु चकितिसीय औषधि अवशष्टि-** किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से (जो वनियमों द्वारा वनिरिदष्टि की जाए) अधिक कीटनाशक, पशु चकितिसीय औषधि अवशष्टि, प्रतजिविक अवशष्टि, वलिय अवशष्टि, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और

सूक्ष्मजीव काउंट अंतरवर्षित नहीं होंगे।

◦ **कीटनाशी अधिनियम, 1968** के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोड़कर किसी कीटनाशी का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा।

- **आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ** - इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए वनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सवाय, कोई व्यक्ति कोई आदर्श खाद्य, **आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ**, विकिरणित खाद्य, **जैविक खाद्य**, वशेष आहार उपयोगों के खाद्य, फलीय कृत्कारी खाद्य, पोषणीय, स्वास्थ्यप्रक तत्त्व, नजिस्वमूलक खाद्य और इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का वनिरिमाण, वतिरण, विकरिय या आयात नहीं करेगा।
- **पैकेजिंग और लेबलिंग:** खाद्य उत्पादों की नरिदषित वनियमों के अनुसार पैकेजिंग और लेबलिंग की जानी चाहिये।
 - परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डिज़ाइन या युक्ति अंतरवर्षित नहीं होगी जो पैकेज में अंतरवर्षित खाद्य उत्पाद के संबंध में किसी वशिषिटि में मथिया या भ्रामक हो।
- **अनुचित व्यापार व्यवहार-** किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा वजिआपन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नयिमों और वनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्या है?

- **परचिय:** FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक नकिय है।
 - वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित वभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कखिाद्य अपमशिर्ण नविरण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 आदि।
- **FSSAI के कार्य:** FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हुए भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को वनियमिति करके लोक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्द्धन के लिये ज़मिेदार है।
 - परणामस्वरूप, FSSAI की स्थापना वर्ष 2008 में की गई लेकिन खाद्य प्राधिकरण के अंतर्गत इसका कार्य वर्ष 2011 से शुरू हुआ, जब इसके नयिम और प्रमुख वनियमन अधिसूचित किये गए।
- **FSSAI की शक्तियाँ:**
 - खाद्य उत्पादों और योजकों के लिये वनियमों तथा मानकों का नरिधारण।
 - खाद्य व्यवसायों को लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना।
 - खाद्य सुरक्षा कानूनों और वनियमों का प्रवर्तन।
 - खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की नगिरानी तथा पर्यवेक्षण।
 - खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर जोखिम मूल्यांकन और वैज्ञानिक अनुसंधान का संचालन करना।
 - खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर प्रशिक्षण तथा जागरूकता बढ़ाना।
 - खाद्य सुदृढीकरण और जैविक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन।
 - खाद्य सुरक्षा मामलों पर अन्य एजेंसियों और हतिधारकों के साथ समन्वय करना।
- **FSSAI की संरचना:** FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जनिमें से एक तहिाई महलिाँ होती है।
 - FSSAI के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा नयुक्त किया जाता है।
 - इसके अध्यक्ष, भारत सरकार के सचिव के स्तर के होते हैं।
- **FSSAI की पहल:**
 - [वशिव खाद्य सुरक्षा दविस](#)
 - [ईट राइट इंडिया](#)
 - [राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक](#)
 - [RUCO \(परयुक्त खाद्य तेल का पुनः उपयोग\)](#)
 - [खाद्य सुरक्षा मतिर](#)
 - [100 फ़ूड सटरीट्स](#)

नषिकरष:

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSA) के प्रावधान राज्य सरकारों को राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को सुनशिचति करते हुए खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से वनियमिति करने का अधिकार देते हैं। खाद्य योजकों, संदूषकों और वजिआपन प्रथाओं पर नयिम नरिधारति करके, FSSA का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ खाद्य उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

दृषटि मुख् य परीकषा प्रश्न:

प्रश्न: खाद्य पदार्थों में मलिवट रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA) के तहत मौजूदा प्रावधानों का परीक्षण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधनियम, 2006 ने खाद्य अपमशिरण की रोकथाम (प्रविशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधनियम, 1954 को प्रतस्थिपति कयि।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडयि) (एफ.एस.एस.ए.आई.) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानदिशक के प्रभार में है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

?????:

प्रश्न. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतयिों का सामना करने के लयि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतयिों के बारे में वसितारपूर्वक वर्णन कीजयि। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-regulation-regarding-food-eateries>

